



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 09, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 343/XXXVI(3)/2016/73(i)/2016

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2016” पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 25 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2016)

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में सथा प्रवृत्त)
में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रोस्तर संशोधन कानून के लिए

अधिनियम

(भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

भाग 1 का विस्तार
और प्रारम्भ

- (1) इस अधिनियम को संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह लागू प्रवृत्त होगा।

भाग 2 की उपधारा
(1) को अन्तस्थापन

- जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (भारत आरंभ अधिनियम कक्षा गया है) की धारा 2 की उपधारा (3) के पश्चात् एक नई उपधारा (4) को निम्नवत् अन्तस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

“(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा गैर जमींदारी विनाश की भूमि, वन भूमि के विरसन (De-notification) के पश्चात् गैर प्राथमिक प्रयोजन हेतु प्राप्त भूमि, अप्रयुक्त बंजर, तथा प्राकृतिक कवचों से विस्तारित पट्टे की भूमि को भी सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि एवं अन्य विन्धी कारणों से प्राप्त भूमि, जिस पर इस अधिनियम का प्रसार न किया गया हो, को इस अधिनियम में विहित प्राविधानों को लागू करने के लिए विस्तारित कर सकती है तथा इस अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों में जहाँ आवश्यक हो स्वतः ही लागू होगी।”

धारा 156 की
उपधारा (1) के खण्ड
(ग) को अन्तस्थापन

- मूल अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के पश्चात् एक नया खण्ड (ग) निम्नवत् अन्तस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—

“(ग) (एक) मूल अधिनियम की धारा 157 (क) तथा धारा 157 (ख) में निहित प्राविधानों पर प्रतिकूल प्रभाव खाने बिना कृषि,

बागवानी, जड़ी बूटी उत्पादन, बेमौसमी सब्जियों, औषधीय पावपों एवं सुगन्धित पुष्पों, मसालों का उत्पादन, वृक्षारोपण, पशुपालन एवं वृद्ध उत्पादन, मुर्गी पालन तथा पशुधन, प्रजनन, मौन पालन, मत्स्य पालन एवं कृषि प्रसंस्करण के लिए किसी व्यक्ति, संस्था, समिति, न्यास एवं स्वयं सहायता समूह को पट्टे पर शर्त निर्धारित करते हुए पट्टा किराया सहित अधिकतम 30 वर्षों के लिए दिया जा सकेगा। पट्टा किराया में नकद, उपज अथवा उपज के किसी अंश को सम्मिलित किया जा सकेगा;

- (दो) पट्टे की अवधि समाप्त होने पर पट्टे का नवीनीकरण पुनः शर्तों को निर्धारित करते हुए किया जायेगा। पट्टाभिलेख भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन निःशुल्क पंजीकृत किया जा सकता है। पट्टेदार को पट्टाभिलेख में उल्लिखित अधिकारों के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। पट्टावधि समाप्ति के पश्चात् पट्टेदार द्वारा पट्टावधि के दौरान भूमि पर किसी भी प्रकार का प्रभार हित देयता भू-स्वामी पर बाध्य नहीं होगी;
- (तीन) पट्टागत भूमि पर सभी शुल्क एवं उपकरणों का भुगतान का उत्तरदायित्व भू-स्वामी का स्वयं होगा;
- (चार) पट्टेदार कृषि ऋण, आपदा सहायता एवं अन्य कोई समसामयिक सुविधा जो राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जाती हो, को प्राप्त करने का अधिकारी होगा;
- (पांच) पट्टेदार को फसल बीमा, आपदा सहायता तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन धनराशि/अनुदान प्रदान की जा सकती है, जिसको प्राप्त करने का वह स्वयं अधिकारी होगा;
- (छ) पट्टावधि के दौरान पट्टेदार द्वारा भूमि की सीमा, सर्वेक्षण चिन्ह तथा सीमांकन आदि को न तो हटाया जायेगा और न ही नुकसान पहुंचाया जायेगा;
- (सात) पट्टेदार को पट्टाग्रस्त भूमि के संबंध में कोई अनुवांशिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। पट्टेदार की पट्टावधि के दौरान मृत्यु, अक्षमता पर उसका प्रत्यक्ष (विधिक) उत्तराधिकारी भू-स्वामी के साथ कृषि एवं

अन्य संहवर्ती क्रियाकलापों के लिए नया अनुबन्ध करने के उपरांत अधिकृत होगा;

(आठ) पट्टे की अवधि समाप्ति पर, निर्धारित समय पर पट्टे की राशि का भुगतान न होने पर, पट्टे की शर्तों का अनुपालन न होने, पट्टे के प्रयोजन से इतर प्रयोग करने पर पट्टेदार द्वारा भूमि का उपयोग स्वयं न कर पट्टे का उप पट्टा करने तथा पट्टाग्रस्त भूमि को क्षति पहुंचाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टा समाप्त कर दिया जायेगा;

(नौ) सक्षम प्राधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा 04 सप्ताह के अन्दर विवाद को निर्णीत किया जायेगा तथा निर्णय के पश्चात् पट्टेदार यदि कब्जा नहीं हटाता है तो कलेक्टर द्वारा बलपूर्वक कब्जा हटाते हुए भूमि पट्टादाता को वापस की जायेगी एवं निर्णय की तिथि के उपरांत प्रतिदिन रू० 300 अर्थात् पट्टेदार से वसूल किया जायेगा।

(दस) पट्टागत सम्पत्ति पर किसी प्रकार का अनुदान, बैंक ऋण लिये जाने पर पट्टादाता की भूमि की प्रास्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार की देयकों की जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी;

(ग्यारह) उपरोक्त उपधारा (ग) (आठ) में वर्णित विशेष परिस्थितियों में पट्टादाता/पट्टाधारक द्वारा पट्टा 03 माह पूर्व की सकारण नोटिस देकर समस्त भार सहित समाप्त किया जा सकेगा। पट्टे पर दी गयी भूमि के उपयोग के संबंध में जिलाधिकारी मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में कार्य करेंगे तथा दोनों पक्षों के पट्टा अनुबन्ध में भूमि के विशिष्ट उद्देश्यों हेतु उपयोग किये जाने की वस्तुस्थिति की जांच की जायेगी तथा वार्षिक आधार पर पट्टागत भूमि की सन्तुष्टि की जायेगी। किसी भी स्थिति में भूमि का समुचित उपयोग न किये जाने पर भूमि का पट्टा समाप्त करते हुए जिलाधिकारी द्वारा भूमि भार सहित वापस करा दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा प्रयोजन की आवश्यकतानुसार अधिकतम 30 एकड़ भूमि पट्टे पर ली जायेगी। विशेष परिस्थितियों में यदि भूमिधर के भूमि के बीच में यदि सरकारी भूमि है तो वह भूमि को जिलाधिकारी द्वारा

राज्य सरकार की अनुमति से सशुल्क पट्टे पर आवंटित की जा सकेगी। पट्टादाता द्वारा स्थानीय उत्पादों, सब्जियों, दालों तथा परम्परागत फसलों एवं फलोद्यान को प्राथमिकता प्रदान करते हुए स्थानीय नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। पट्टे पर दी गयी भूमि के उत्पादों के आधार पर विकसित उद्योगों में विशेषज्ञ पदों को छोड़कर स्थानीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे। स्थानीय उत्पादों के वितरण, विक्रय संरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति का अनुश्रवण किया जायेगा;

(बारह) पट्टे की अवधि समाप्त होने पर अथवा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा भूमि पट्टादाता को बलपूर्वक वापस करायी जायेगी। उत्तराखण्ड कृषि भूमि पट्टा कई भू-स्वामियों की छोटी-छोटी जोतों को मिलाकर इस सीमा तक एकत्रित किया जा सकता है कि कृषि तथा उसके सहवर्ती क्रियाकलापों को लाभप्रद स्थिति में लाया जाये तथा रोजगार सृजन भी हो;

(तेरह) उपरोक्त प्राविधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई होती है तो राज्य सरकार आदेश के द्वारा स्पष्ट कर सकेगी और पट्टे इत्यादि के संबंध में नियम भी बना सकेगी।

धारा 161 की
उपधारा (ख) का
प्रतिस्थापन

4.

मूल अधिनियम की धारा 161 की उपधारा (ख) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(ख) राज्य सरकार की अनुमति से किसी गाँव सभा या स्थानिक प्राधिकारी से, उक्त भूमि जो धारा 117 के अधीन तत्समय उसमें निहित हो, विनिमय कर सकता है;

परन्तु यह कि सहायक कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना कोई विनिमय नहीं होगा और यदि विनिमय की जाने वाली भूमियों के मौखसी दरों से लगाये गये लगानी मूल्यों में निरन्तर लगानी मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक अन्तर हो, तो सहायक कलेक्टर अनुज्ञा देने से इंकार करेगा।”

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र खुल्वा,
प्रमुख सचिव।

No. 343/XXXVI(3)/2016/73(1)/2016
 Dated Dehradun, November 30, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'the Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Bill, 2016' (Adhiniyam Sankhya 25 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 29 November, 2016.

THE UTTARAKHAND ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS
 (AMENDMENT) ACT, 2016

(Uttarakhand Act no. 25 of 2016)

An

Act

to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (as applicable to State of Uttarakhand) in it's application to the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand State Assembly in the 67th Year of the Republic of India as follows;

- | | | |
|---|---|---|
| Short title, Extent and Commencement | 1 | (1) This Act may be called the Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2016. (2) It extends to the whole of the State of Uttarakhand. (3) It shall come into force at once. |
| Insertion of sub-section (4) of section 2 | 2 | In the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (hereinafter referred to as Principle Act), after sub-section(3) of section 2, a new sub-section (4) shall be inserted as follows, namely- “(4) The land of Non-Zamindari Abolition obtained by de-notification of forest land for the purposes of non forestry, unused barren and extended land from natural reasons and the land obtained from any other reasons, in which this Act is not extended then the State Government may extended for the commencement to |

the vest provisions in this Act by notification and where it is necessary, the relevant provisions of this Act shall be applicable sou-moto."

Insertion of
Clause (c) of
sub-section (1)
of section 156

3 After clause (b) of sub-section (1) of section 156 of the Principal Act, a new clause (c) shall be inserted as follows, namely-

"(c) (i) Without prejudice to the restriction content in section 157(a) and section 157(b) of the Principle Act, the land for the purposes of agriculture, horticulture, herbs, unseasonal vegetables, medicinal and aromatic plants, production of spices, plantation, animal husbandry and milk production, poultry farming and live stock procreation, apiculture, pisciculture and agricultural processing may be leased for maximum period of 30 years with fixed terms and conditions and leased the land to any person, Institution, Society, Trust and self help finance groups, cash, crops or any part of the product may be included in lease rent;

(ii) On the expiration of the term of the lease, lease may be renewed on the fresh terms and conditions. The lease agreement may be registered under the Indian Registration Act, 1908 without any fee. lessee has no right over the land other than those set forth in the lease agreement. Any charge or interest of liability created by the lessee during the lease period shall not be binding on the land owner after expiry of the lease period;

(iii) All fees and cess on the leased land shall be paid by the land owner and shall be responsible himself;

(iv) The lessee shall be entitled to obtain any agriculture loan, disaster assistance and any other prevalent facility provided by central and state Government ;

(v) The lessee himself shall be entitled for the crop insurance, calamity assistance and any promotional amounts or grants provided by State government and Central government.

(vi) During the lease period the boundary of land, marks and survey identification of the boundary neither be removed nor be damaged by the lessee;

(vii) Regarding the leased land, the lessee has no hereditary right, in case of death, incapability of lessee during the lease period his legal successor shall be authorised to make a fresh agreement for the agriculture and allied activities;

(viii) The lesser shall have right to cancelled the lease agreement on the expiration of the lease period, lessee fails to pay the lease rent on agreed time, fails to comply with the terms and

conditions of lease agreement uses of lease land for the purpose other than specified in the lease agreement, sub-lease the leased land and damage cost to the land;

(ix) The competent authority or collector shall adjudicate the dispute within a period of 04 weeks and thereafter if the orders does not comply with lessee or not vacate his/her possession then collector shall vacate the land forcefully and revert the land to the lesser with imposing a fine of Rs. 300/- per day shall be recovered from the date of the land vacation order;

(x) No effect caused on the status of lesser's land of any grant in aid and bank loans taken against the leased property the lessee shall be responsible to pay such all types of pending dues;

(xi) In special circumstances as mentioned in sub-section (viii), the lesser/lessee shall have the right to cancel the lease with 03 months prior reasoned notice to pay with all encumbrances. The District Magistrate shall act as an arbitrator in respect of the leased property utilization and enquired the actual position of the land provided for specific purpose and shall recommend the leased land on annual basis. If the District Magistrate is not satisfied with the optimum utilization of land in any situation, can be terminated the lease of the land with all encumbrances. The lessee will obtained maximum 30 acres of land on lease according the need of the purpose. In special circumstances if the government land is situated in the middle of the leased land, the land shall allotted with cost on lease with the permission of State Government by the District Magistrate. The lesser promote the local products, vegetables, pulses, traditional crops and horticulture on preference the local citizens to provide the opportunity of self employment. The local citizens will prefer in employment excluding the specialised post of developed industry on the basis of products on leased property. The State Government monitor the prescribed policy regarding the distribution, sales and protection of the local products;

(xii) The concerning District Magistrate shall withdraw the lease forcefully and revert back the land to lesser, in violation of the terms and conditions of the lease agreement or on expiration of the terms of the lease. The small size of holdings of several land owners shall accumulate up to that extent, that land can be utilized for agriculture and its allied activities in beneficial stage or to create employment in leased agriculture land in Uttarakhand;

(xiii) If any difficulty arise to implement the aforesaid provisions, the State Government can clear by an order and also frame rules in connection of the lease."

Amendment of
clause (b) of
sub-section (1)
of section 161

4

In clause (b) of sub-section(1) of 161 of the Principle Act, shall be substituted as follows, namely-

“(b) Any Gaon sabha or local authority, lands for the time being vested in it under section 117 ' with prior permission of the State Government;

Provided that no exchange shall be made except with the permission of an Assistant Collector who shall refuse permission if the difference between the rental value of land given in exchange and of land received in exchange calculated at hereditary rates is more than 10 percent of the lower rental value.”

By Order,

FAMESH CHANDRA KHULBE,
Principal Secretary.

